



## यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपकरण)

### UJVNL Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता (जानपद), ल०ज०३०, ३३ के०वी० उपसंस्थान परिसर, हाट, धारचूला, जिला—पिथौरागढ—२६२५४५ (उत्तराखण्ड), दूरभाषः ०५३६७—२२०२४०, फैक्ससं०: ०५९६७—२२०२४०  
Office of the Executive Engineer (Civil), SHP, 33 KV Substation Complex, Hat, Dharchula, Dist.-Pithoragarh-262545 (Uttarakhand), Phone: 05367-220240, Fax : 05967- 220240  
CIN No. 40101UR2001SGC025866

No.65/UJVNL/03/Director Projects/EE(C-Dharchula)/L-1

Date: 12.08.2021

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,  
पिथौरागढ़।

**विषय:** — जनपद—पिथौरागढ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता 4x3000 किलोवाट) विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु ९.३९७ हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को हस्तान्तरण। (FP/UK/HYD/42080/2019)

**सन्दर्भ:** — १. कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2751/FP/UK/HYD/42080/2019 दिनांक 19.05.2021।  
२. उपमहानिरीक्षक (के०), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक ८बी/यू.सी.पी./०१/१९५/२०१९/एफ०सी०/२२८ दिनांक 23.06.2021।

महोदय,

विषयगत सन्दर्भ में उपरोक्त पत्रांक 228 दिनांक 23.06.2021 के माध्यम से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, देहरादून द्वारा प्रस्ताव में परियोजना से विद्युत निकासी हेतु Transmission line के निर्माणार्थ कितनी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित 4x3000 किलोवाट तांकुल लघु जलविद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत की निकासी ३३ के०वी०वोल्टेज पर की जानी है। पूर्व में बिन्दु संख्या २ के क्रम में स्पष्ट किया गया था कि यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा मौजूदा ११ के०वी० लाइन को ३३ के०वी० लाइन में उपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि विचाराधीन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में ट्रान्समिशन लाइन हेतु आवश्यक भूमि सम्मिलित नहीं है। अतः निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर ट्रान्समिशन लाइन हेतु Linear shape भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी अवगत कराया गया था कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ०पा०का०लि०) द्वारा ३३ के०वी० उपसंस्थान, तवाघाट से सीमान्त ग्राम गुंजी तक ३३ के०वी० लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि उक्त ३३ के०वी० लाइन आई०टी०बी०पी० के BoPs के विद्युतीकरण हेतु ACSR Racoon conductor (तारों) का इस्तेमाल कर बनाई जानी है जो कि परियोजना के ग्राम पांगला के तोक मांगती में प्रस्तावित विद्युत गृह से होते हुए निकलनी प्रस्तावित है।

मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के UERC Tariff and Other Terms of Electricity from Renewable Energy Source and Non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2018के Chapter 6, Miscellaneous, 41-Evacuation of power (1) and (2)के अनुसार २५ मे०वा० तक की रिन्यूएबल इनर्जी पर आधारित विद्युत गृहों से विद्युत ऊर्जा की निकासी हेतु वरियता के आधार पर १० कि०मी० की परिधिके अन्तर्गत निकटतम उपसंस्थान में Connectivity प्रदान किया जाना Distribution licensee अर्थात् उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड का दायित्व है।

अवगतनीय है कि ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियंत्रणाधीन यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा सभी विद्युत गृहों से उत्पादित ऊर्जा की sale उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ही की जाती है अन्य किसी Distribution licensee को sale करने की अनुमति नहीं है।

अतः विद्युत गृह मांगती से गुजरने वाली तवाघाट-गुंजी 33 के0वी0 लाइन को मांगती विद्युत गृह पर ही संलग्न डायग्राम के अनुसार Loop In Loop Out (Li-Lo) के माध्यम से संयोजित करना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड सरकार, आई0टी0बी0पी0 एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ0पा0का0लि0) के मध्य प्रस्तावित तवाघाट-गुंजी 33 के0वी0 लाइन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय एवं गतिमान कार्यवाही के सन्दर्भ में निम्नलिखित दस्तावेज आपके सादर अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

1. अधीक्षण अभियन्ता, उ0पा0का0लि0, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1492 / वि0वि0म0(पि0) दिनांक 31.01.2020 मय प्राक्कलन सहित।
2. उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 844/I(2)/2020-05-35/2005 दिनांक 20.08.2020 मय माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, महानिदेशक, आई0टी0बी0पी0 के मध्य हुयी वार्ता का कार्यवृत्त दिनांक 17.07.2020 सहित।
3. निदेशक (परिचालन), उ0पा0का0लि0 का पत्रांक-4378 / निदेशक परिचालन / उ0पा0का0लि0 / एस-2 दिनांक 20.09.20219 संलग्नक सहित।
4. अधीक्षण अभियन्ता, उ0पा0का0लि0, पिथौरागढ़ का पत्रांक वि0वि0म0 (पि0) / 895 दिनांक 26.10.2020 मय रूट मैप सहित।
5. सेनानी, 7वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस, पिथौरागढ़ का पत्रांक भा0ति0सी0पु0 / 7वीं वा0 अभि0 / 75 / 2020-1624-29 दिनांक 27.02.2011, मय 04 नग संलग्नकों सहित।

अतः विषयगत सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि प्रस्तावित 4x3000 कि0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित होने वाली ऊर्जा की निकासी उ0पा0का0लि0 की प्रस्तावित 33 के0वी0 तवाघाट-गुंजी लाइन में तोक मांगती में प्रस्तावित विद्युत गृह से Loop In Loop Out (Li-Lo) के माध्यम से की जायेगी। 4x3000 कि0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के जुड़ने से स्थानीय जनता के साथ-साथ उ0पा0का0लि0 द्वारा आई0टी0बी0पी0 के सामरिक महत्व की BoPs हेतु प्रस्तावित विद्युतीकरण परियोजना को भी पर्याप्त ऊर्जा मिल सकेगी।

मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के सलंग्न UERC (Tariff and Other Terms of Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and Non-fossil Fuel based Co-generating Stations) Regulations 2018, के Chapter 6, Miscellaneous, 41-Evacuation of power, (1) and (2) आपके सुलभ सन्दर्भ हेतुनिम्नवत् उद्भूत है।

"Distribution licensee shall provide connectivity to the RE based Generating Stations having capacity upto 25 MW at its nearest distribution sub-station preferably within a range of 10 kilometers from the location of such generating station".

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थिति में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रस्तावित 4x3000 कि0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर स्वीकृती प्रदान करने की कृपा करें ताकि जनहित में उक्त परियोजना का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सके।

धन्यवाद।

भवदीय,  
A. Singh  
12-8-2021  
(ऋषि सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता (जानपद-लज्जिप)  
यूजेवीएन लिमिटेड  
धारचला, पिथौरागढ़